

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1895  
उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

आंध्र प्रदेश में सीजीटीएमएसई

1895. श्री बस्तिपति नागराजू :  
श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आरएमपी योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) घटक के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में शामिल किए गए कुल खातों का वर्ष-वार, जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) जिन खातों के लिए गारंटी लागू की गई थी, उनकी वर्ष-वार, जिला-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;
- (ग) आन्ध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऋण देने वाली संस्थाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
- (ख) सीजीटीएमएसई के अंतर्गत शामिल किए गए पात्र कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों में से एक है। इसे संपार्श्विक (कॉलेट्रल) सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता के बिना सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा एमएसई को दिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाता है।

शुरूआत से आंध्र प्रदेश राज्य में सीजीएस के तहत अनुमोदित गारंटियों का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-I में और जिला एवं श्रेणी-वार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(ख) : आंध्र प्रदेश में सीजीएस के तहत लागू की गई गारंटियों का वर्ष-वार, जिला-वार और श्रेणी-वार विवरण अनुबंध-III में संलग्न है।

(ग) : दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित देशभर में सीजीटीएमएसई के तहत कुल 277 एमएलआई पंजीकृत थे।

(घ) : सीजीटीएमएसई एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत उल्लिखित गतिविधियों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

\*\*\*\*\*

“आंध्र प्रदेश में सीजीटीएमएसई” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1895, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस- अनुमोदित गारंटी – आंध्र प्रदेश		
अवधि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में
वित्त वर्ष 2000-01	16	0.11
वित्त वर्ष 2001-02	53	3.26
वित्त वर्ष 2002-03	434	3.50
वित्त वर्ष 2003-04	89	2.66
वित्त वर्ष 2004-05	327	12.19
वित्त वर्ष 2005-06	1,475	16.85
वित्त वर्ष 2006-07	3,323	26.10
वित्त वर्ष 2007-08	1,171	34.85
वित्त वर्ष 2008-09	1,975	80.80
वित्त वर्ष 2009-10	3,980	225.03
वित्त वर्ष 2010-11	7,523	462.04
वित्त वर्ष 2011-12	9,030	573.98
वित्त वर्ष 2012-13	21,576	705.46
वित्त वर्ष 2013-14	19,568	672.69
वित्त वर्ष 2014-15	16,043	787.12
वित्त वर्ष 2015-16	18,627	392.92
वित्त वर्ष 2016-17	13,911	385.51
वित्त वर्ष 2017-18	10,141	341.67
वित्त वर्ष 2018-19	29,812	979.41
वित्त वर्ष 2019-20	50,562	1,556.78
वित्त वर्ष 2020-21	1,63,610	1,559.99
वित्त वर्ष 2021-22	49,848	1,455.81
वित्त वर्ष 2022-23	2,37,520	3,545.04
वित्त वर्ष 2023-24	79,938	5,395.40
वित्त वर्ष 2024-25	1,10,323	8,189.07
<b>कुल</b>	<b>8,50,875</b>	<b>27,408.22</b>

अनुबंध-II

“आंध्र प्रदेश में सीजीटीएमएसई” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1895, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां-आंध्र प्रदेश-जिला-वार *											
[ राशि करोड़ रुपए में ]											
क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17		वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20	
		अनुमोदित गारंटियों की सं	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं	अनुमोदित गारंटियों की राशि
1	अनंतपुरम्	1,978	29	818	25	1,036	29	1,971	61	6,097	233
2	चित्तूर	1,572	41	1,112	33	374	26	825	37	3,349	91
3	पूर्वी गोदावरी	1,926	39	1,534	42	768	36	2,893	98	5,120	144
4	गुंटूर	772	19	727	19	548	14	11,541	260	5,876	158
5	कृष्णा	2,264	47	1,306	37	409	27	1,532	91	6,692	222
6	कुरनूल	1,134	33	833	34	365	24	750	32	3,351	78
7	प्रकाशम	1,392	29	897	44	655	42	1,241	66	2,660	80
8	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1,713	30	1,383	20	1,125	21	1,215	45	3,433	88
9	श्रीकाकुलम	912	10	1,159	17	1,802	19	1,751	31	1,789	44
10	विशाखापत्तनम	2,181	70	2,112	69	1,280	67	2,522	141	4,918	219
11	विजयनगरम	444	10	704	11	956	15	1,470	39	1,450	44
12	पश्चिम गोदावरी	1,149	20	609	16	246	12	1,068	40	3,848	104
13	वाई.एस.आर. कडपा	1,190	16	717	20	577	9	1,033	39	1,979	53
	<b>कुल</b>	<b>18,627</b>	<b>393</b>	<b>13,911</b>	<b>386</b>	<b>10,141</b>	<b>342</b>	<b>29,812</b>	<b>979</b>	<b>50,562</b>	<b>1,557</b>

\* चूंकि तेलंगाना वित्त वर्ष 2014-15 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए जिला - वार डेटा केवल वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से प्रदान किया गया है।

सीजीएस-अनुमोदित गारंटिया- आंध्र प्रदेश-जिला-वार*											
[ राशि करोड़ रुपए में ]											
क्र.सं.	जिला	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि
1	अनंतपुरमु	11,553	108	4,141	133	36,222	438	8,151	447	9,286	602
2	चित्तूर	11,818	113	3,040	87	4,020	176	5,433	353	8,648	520
3	पूर्वी गोदावरी	20,639	196	5,525	136	13,654	271	8,162	471	10,379	754
4	गुंटूर	27,784	167	5,492	146	25,643	346	5,902	558	9,667	921
5	कृष्णा	11,372	197	6,080	221	25,176	445	9,687	708	13,305	1,182
6	कुरनूल	8,192	88	3,831	101	28,258	298	7,773	327	9,545	548
7	प्रकाशम	16,112	74	3,842	95	23,961	253	4,616	341	6,247	397
8	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	7,821	107	1,699	83	28,359	298	6,543	446	7,956	582
9	श्रीकाकुलम	6,842	65	3,406	40	3,066	73	2,620	141	4,673	258
10	विशाखापत्तनम	12,102	202	3,823	206	10,934	397	6,957	762	10,998	1,144
11	विजयनगरम	5,097	72	1,608	43	2,047	65	2,339	164	4,204	257
12	पश्चिम गोदावरी	18,114	137	5,348	104	16,151	259	5,187	360	8,065	615
13	वाई.एस.आर. कडपा	6,164	34	2,013	60	20,029	228	6,568	317	7,350	407
	<b>कुल</b>	<b>1,63,610</b>	<b>1,560</b>	<b>49,848</b>	<b>1,456</b>	<b>2,37,520</b>	<b>3,545</b>	<b>79,938</b>	<b>5,395</b>	<b>1,10,323</b>	<b>8,189</b>

\* चूंकि तेलंगाना वित्त वर्ष 2014-15 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए जिला - वार डेटा केवल वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से प्रदान किया गया है।

सीजीएस - अनुमोदित गारंटियां - आंध्र प्रदेश - श्रेणी-वार				
[राशि करोड़ रुपए में]				
अवधि	सूक्ष्म		लघु	
	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित गारंटियों की राशि
वित्त वर्ष 2015-16	17,918	347	709	46
वित्त वर्ष 2016-17	12,311	240	1,600	145
वित्त वर्ष 2017-18	9,800	241	341	101
वित्त वर्ष 2018-19	26,471	672	3,341	307
वित्त वर्ष 2019-20	46,254	1,157	4,308	400
वित्त वर्ष 2020-21	1,57,383	1,379	6,227	181
वित्त वर्ष 2021-22	44,116	907	5,732	549
वित्त वर्ष 2022-23	2,29,534	2,498	7,986	1,047
वित्त वर्ष 2023-24	70,979	3,704	8,959	1,691
वित्त वर्ष 2024-25	1,00,924	6,084	9,399	2,105

अनुबंध-III

“आंध्र प्रदेश में सीजीटीएमएसई” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1895, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस - लागू गारंटियां - आंध्र प्रदेश - वर्ष - वार और जिला - वार											
क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		लागू गारंटियों की सं.	राशि(करोड़ रुपए में)	लागू गारंटियों की सं.	राशि(करोड़ रुपए में)	लागू गारंटियों की सं.	राशि(करोड़ रुपए में)	लागू गारंटियों की सं.	राशि(करोड़ रुपए में)	लागू गारंटियों की सं.	राशि(करोड़ रुपए में)
1	अनंतपुरमु	55	0.47	370	5.63	977	4.93	613	8.03	991	11.75
2	चित्तूर	24	0.94	344	4.06	800	6.56	319	3.61	525	7.51
3	पूर्वी गोदावरी	46	0.76	265	4.58	366	3.84	1,160	7.16	1,216	14.84
4	गुंटूर	27	0.78	491	7.07	684	7.06	1,065	11.14	2,472	19.33
5	कृष्णा	76	2.36	435	6.87	1,008	12.89	670	9.92	1,241	20.37
6	कुरनूल	62	6.42	150	1.54	599	3.19	381	2.71	669	6.53
7	प्रकाशम	26	2.28	115	4.27	321	3.85	222	2.50	932	6.90
8	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	11	0.08	229	2.29	711	4.98	391	5.39	706	12.13
9	श्रीकाकुलम	22	0.18	53	0.52	181	1.41	610	3.07	196	3.30
10	विशाखापत्तनम	74	2.94	260	5.70	683	10.43	547	11.91	922	15.71
11	विजयनगरम	35	0.40	47	2.34	92	1.57	259	1.74	209	2.82
12	पश्चिम गोदावरी	27	0.22	199	2.92	736	4.97	1,034	4.97	1,013	10.77
13	वाई.एस.आर. कडपा	14	0.27	109	1.71	301	4.26	196	2.36	458	4.78
	<b>कुल</b>	<b>499</b>	<b>18.09</b>	<b>3,067</b>	<b>49.49</b>	<b>7,459</b>	<b>69.94</b>	<b>7,467</b>	<b>74.49</b>	<b>11,550</b>	<b>136.72</b>

सीजीएस - लागू गारंटियां - आंध्र प्रदेश- श्रेणी-वार				
अवधि	सूक्ष्म		लघु	
	लागू गारंटियों की सं.	राशि (करोड़ रुपए में)	लागू गारंटियों की सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
वित्त वर्ष 2020-21	213	4.52	286	13.58
वित्त वर्ष 2021-22	2,666	33.89	401	15.60
वित्त वर्ष 2022-23	6,780	47.87	679	22.06
वित्त वर्ष 2023-24	6,940	49.90	527	24.59
वित्त वर्ष 2024-25	11,011	104.50	539	32.22